बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

शुद्धि पत्र

राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पदों पर संविदा के आधार पर विभिन्न अभियंत्रण संकायों यथा यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, असैनिक, विद्युत, कम्प्यूटर साईस, एवं विज्ञान विषय यथा गणित, भौतिकी, एवं मानविकी विषय यथा अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र, में नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। प्रेस विज्ञप्ति के कंडिका–8 में उल्लिखित प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–897 दिनांक–28.03.2014 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–889 दिनांक–10.04.2017 के निहित प्रावधानों के अधीन चयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

संवर्ग पद	कुल वेटेज–70	
	अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान कार्य (वेटेज–40)	डोमेन ज्ञान और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज–30)
व्याख्याता (मानविकी एवं विज्ञान)	1. प्रासंगिक विषय में एम.एस.सी./एम.ए. में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 25 % (अधिकतम–25 अंक) 2. प्रासंगिक विषय में बी.एस.सी. (ऑनर्स)/बी.ए. (ऑनर्स) में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 15 % (अधिकतम–15 अंक)	1. यू.जी.सी./सी.एस.आई. आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा, जो यू.जी.सी. / सी.एस.आई.आर. से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंक घोषित किया गया हो :– ऐसे परीक्षा में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत। (अधिकतम–30 अंक) 2. यू.जी.सी./सी.एस.आई. आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा जो यू.जी.सी. /सी.एस.आई.आर. से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंकों का खुलासा नहीं किया गया हो :– कंडिका–1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंको का औसत। (अधिकतम–30 अंक)

Scanned by CamScanner

		3. प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी उम्मीदवार जिन्हें अभातशिप द्वारा नेट उत्तीर्णता से छूट दी गई है :– उपर्युक्त कंडिका–1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। (अधिकतम–30 अंक)
व्याख्याता (अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी)	1. प्रासंगिक विषय में बी.ई. / बी.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 25 % (अधिकतम–25 अंक) 2. प्रासंगिक विषय में एम.ई. / एम.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 10 % (अधिकतम–10 अंक) 3. पी.एच.डी–5 अंक	1. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट), स्कोर में प्राप्त प्रतिशत का 30 % (अधिकतम–30 अंक) **नोट–** पूर्व में भूलवश उल्लिखित वर्ष 2016, 2017 अथवा 2018 का गेट स्कोर के बदले किसी भी वर्ष का गेट स्कोर मान्य होगा।

2. पूर्व की प्रेस विज्ञप्ति की शेष शर्ते एवं बातें यथावत रहेगी।

11.03.19

सरकार के संयुक्त सचिव

संतोष / 11.03.19

Scanned by CamScanner